भारत सरकार
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय–जिला अफीम अधिकारी,
चित्तौड़गढ़ द्वितीय खण्ड
चित्तौड़गढ़ 312001

Government of India
Central Bureau of Narcotics
O/o the District Opium Officer,
Chittorgarh –II Division
Chittorgarh-312001

Phone :- 01472-297018 E-mail:- doo-chittorgarh2@cbn.nic.in

F.No. XV(10)15/OP/Transportation of Opium/CH-II/2024-25 – 766-771 **Date:-08.05.2025**

:: निविदा सूचना ::

फसल वर्ष 2024–25 के अफीम तौल कार्य के उपरान्त कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, चित्तौड़गढ़ प्रथम खण्ड, चित्तौड़गढ़ द्वितीय खण्ड एवं भीलवाडा डिवीजन के अफीम के कन्टेनरों को शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (मध्य प्रदेश) से शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) भेजने हेतु बंद ट्रकों द्वारा सुरक्षित रूप से पहुँचाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

नियम एवं शर्ते

1. विभाग को लगभग 20 बंद ट्रकों की आवश्यकता होगी, जिनकी संख्या आवश्यकतानुसार कम या ज्यादा भी की जा सकती है।
2. ट्रक, टर्बो 32 फीट लम्बाई के होने चाहिए जो पूरी तरह से बंद हो एवं जिनके दरवाजों पर ताला लगाकर सील किया जा सके तथा ट्रकों को GPS द्वारा track किया जा सके।
3. इच्छुक फर्म अपनी मुहरबंद निविदाओं के लिफाफे दिनांक 19.05.2025 को दोपहर 16.00 बजे तक कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वितीय खण्ड में प्रस्तुत कर सकते है। दिनांक 19.05.2025 को दोपहर 16.00 बजे के पश्चात प्राप्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
4. इच्छुक फर्म को अपनी निविदा दो प्रकार की प्रणालियों में जमा करनी होगी, जो की निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक–I और II) में (I) तकनीकी बोली और (II) वित्तीय बोली है। उपरोक्त कार्य हेतु केवल एक ही योग्य फर्म (न्यूनतम दर, सभी करों सहित वाले निविदादाता) को कार्यादेश दिया जायेगा।
5. तकनीकी बोलियों (Technical Bids) को कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वितीय खण्ड की मूल्यांकन समिति द्वारा 19.05.2025 दोपहर 17.00 बजे खोला जाएगा और सिर्फ उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां जो की तकनीकी बोलियों में योग्य है, दिनांक 19.05.2025 को दोपहर 17.00 बजे कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वितीय खण्ड में खोली जाएंगी।
6. निविदा में प्रतिदिन प्रति ट्रक किराया एवं डीजल मात्रा (किलोमीटर/प्रति लीटर) के अनुसार दर्शाना होगा। निविदा में प्रतिदिन किराये में गुड्स एवं सर्विस टैक्स व अन्य टैक्स भी अलग–अलग दर्शाए जाने चाहिए।
7. ट्रकों की टूट–फूट रिपेयरिंग की जिम्मेदारी स्वयं पार्टी की होगी।

letter head Pt 3

8. ऐसे जिम्मेदार निविदादाताओं को प्राथमिकता दी जावेगी, जिनके पास उक्त वांछित संख्या से ज्यादा ट्रक उपलब्ध हों।

9. निविदादाता को दो अलग–अलग मोहरबंद लिफाफों में अपनी निविदा देनी होगी। जिसमें पहले लिफाफे पर **"अफीम परिवहन हेतु बन्द ट्रक की निविदा हेतु तकनीकी बोली"** एवं दूसरे लिफाफे पर **"अफीम परिवहन हेतु बन्द ट्रक की निविदा हेतु वित्तीय बोली"** लिखना होगा।

10. निविदादाताओं को प्रति निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में रु. 1,00,000/– (रुपये एक लाख) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो **"आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, चित्तौड़गढ़ प्रथम खण्ड"** के नाम पर देय हो, वित्तीय बोली वाले लिफाफे के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा एवं धरोहर राशि के ड्राफ्ट की एक प्रतिलिपि (copy) तकनीकी बोली वाले लिफाफे के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

11. यदि निविदादाता का बोली में चयन होने के बाद किसी भी कारण से कार्य करने के लिये मना करता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी एवं दूसरी सबसे कम दर वाले निविदादाता को कार्यादेश प्रदान किया जावेगा, जिसके बारे में पुनः विचार नहीं किया जायेगा।

12. टोल टैक्स का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा, जिसका भुगतान मूल बिल प्रस्तुत करने पर इस विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

13. अफीम कन्टेनर परिवहन का कार्य मई माह की दिनांक 21 के बाद प्रारम्भ होने की संभावना है जिसे आरम्भ होने की तिथि की सूचना फर्म को पूर्व में दे दी जायेगी।

14. कार्य समाप्ति पर ट्रकों को शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर से ही रिलिज कर दिये जायेंगे।

15. सभी ट्रकों को आदेशानुसार शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (मध्य प्रदेश) में निर्धारित दिनांक एवं समय पर अवश्य रूप से उपलब्ध करवाने होंगे।

16. इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वितीय खण्ड में 10:00 बजे से 17:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस (शनिवार एवं रविवार को छोड़कर) में फोन नं. 01472–297018 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

17. यदि निविदादाता द्वारा निश्चित समय पर ट्रक उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, अथवा परिवहन के दौरान ट्रक खराब हो जाता है तो विभाग को यह अधिकार होगा कि वह कार्य निष्पादन हेतु किसी भी स्थानीय फर्म से ट्रक भाड़े पर ले लेवे तथा इस संबंध में हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा।

18.वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाईसेन्स व वाहन का वैध रजिस्ट्रेशन व इन्श्योरेन्स होना अनिवार्य है।

19.ट्रक वाहन चालक व क्लीनर को किसी भी प्रकार के नशे का व्यसन नहीं होना चाहिये।

20.फर्म द्वारा संतोषजनक कार्य न किये जाने की स्थिति में फर्म का भुगतान रोका जा सकता है या बिल राशि में 25 प्रतिशत तक कटौती की जा सकती है एवं धरोहर राशि भी जप्त की जा सकती है।

21.जिला अफीम अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वितीय खण्ड को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताए निविदा को निरस्त कर सकते हैं। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जायेगा। सर्वाधिकार जिला अफीम अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वितीय खण्ड के पास सुरक्षित रहेगा।

22.इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही चित्तौड़गढ़ न्यायालय के अधीन होगी।

23.केवल वही फर्म निविदाएँ प्रस्तुत करें जो जी.एस.टी में पंजीकृत हो व आयकर रिटर्न भरती हो। साथ ही वस्तु एंव सेवा कर (GST) पंजीकरण संख्या (अभिप्रमाणित प्रति) एवं FY 2023–24 (AY 2024–25) की आयकर रिर्टन (ITR) प्रति निविदा के साथ संलग्न करें।

8/5/25

जिला अफीम अधिकारी
चित्तौड़गढ़ द्वितीय खण्ड

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त निविदा को विभागीय सीबीएन की वेबसाईट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

2. श्रीमान् सहायक नारकोटिक्स आयुक्त (अफीम), केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (म.प्र.)

3. श्रीमान् प्रबन्धक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म.प्र.)

4. जिला अफीम अधिकारी, चित्तौड़गढ़ प्रथम खण्ड एवं भीलवाडा को इस आशय से प्रेषित है कि आपके इलाके में प्रचलित एवं प्रतिष्ठित फर्मो को सूचित करें।

5. जिला अफीम अधिकारी, चित्तौड़गढ़ तृतीय खण्ड को सूचनार्थ प्रेषित है।

8/5/25

जिला अफीम अधिकारी
चित्तौड़गढ़ द्वितीय खण्ड

अनुलग्नक–III

धोखाधडी और भ्रष्ट आचार के बारे में घोषणा

मैं/ हम यह प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में, मैं/हम न तो किसी अनुबंध के अनुपालन में असमर्थ रहा/रहे हैं और न ही मैं/हम पर किसी मध्यस्थ अथवा न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई जुर्माना लगाया गया है और न ही किसी भी परियोजना या अनुबंध के मेरे/हमारे भाग पर उल्लंघन के सम्बन्ध में किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से निष्कासित किया गया है।

(क) मैं/हम किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी प्रतिनिधि एजेन्ट के माध्यम से किसी भ्रष्ट व्यवहार, धोखाधडी, बलपूर्वक, अवांछनीय कृत्य या प्रतिबंधकारक कार्य में लिप्त नहीं है जो कि किसी भी निविदा या प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या किसी भी सरकार, केंद्रीय या राज्य के साथ दर्ज किए गए प्रस्ताव या किसी समझौते के संबंध में हो तथा

(ख) मैने/हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि मेरी/हमारी तरफ से कोई भी व्यक्ति कोई भी गलत कार्रवाई नहीं करेगा या किसी भी भ्रष्ट व्यवहार, धोखाधडी, बलपूर्वक, अवांछनीय कृत्य या प्रतिबंधात्मक कार्य में लिप्त नहीं रहेगा।

मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि हम या हमारे किसी भी एसोसिएटस को किसी न्यायालय (Court of Law) द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है या न ही किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किया गया है या प्रतिकूल आदेश दिये गए हैं, जो अनुबन्ध (Project) को शुरू करने के लिए हमारी क्षमता पर संदेह करता है या जो एक गंभीर अपराध से संबंधित होता है जो समाज की नैतिकता को प्रभावित करता हो।

मैं/हम आगे प्रमाणित करते हैं कि देश की सुरक्षा और अखंडता से संबंधित मामलों के संबंध में सरकार की किसी भी एजेंसी द्वारा हम पर न ही कोई आरोप पत्र जारी किया गया है अथवा विधि न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है।

मैं/हम आगे यह भी प्रमाणित करते हैं कि नियामक प्राधिकरण (Regulatory Authority) द्वारा कोई जांच हमारे या हमारे सीईओ या हमारे निदेशकों/प्रबंधकों/कर्मचारियों के खिलाफ लंबित नहीं है।

तारीख–
स्थान –   अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील

तकनीकी बोली (Technical Bid)

(केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की म.प्र. इकाई में फसल वर्ष 2024–25 हेतु तौल केन्द्रों पर ट्रक किराये पर देने के लिए)

1	टेंडरिंग कंपनी का नाम (कंपनी के संक्षिप्त प्रोफाइल के साथ पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
2	कंपनी के प्रोप्राइटर / निदेशक का नाम	
3	टेलीफोन नंबर फैक्स और ई–मेल के साथ पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता	
4	ऑपरेटिंग / शाखा कार्यालय का पूरा पता टेलीफोन नंबर फैक्स और ई–मेल के साथ	
5	FY 2023-24 (AY 2024-25) की आयकर रिर्टन (ITR) प्रति संलग्न करें।	
6	वस्तु एंव सेवा कर (GST) पंजीकरण संख्या (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
7	शपथ पत्र – यह बताते हुए कि कंपनी को पिछले तीन वर्षों में केन्द्र / राज्य सरकार / पीएसयू द्वारा न तो ब्लैकलिस्ट किया गया है(प्रतिलिपि संलग्न करें) और न ही किसी भी सरकारी विभागों के साथ कोई मुकदमेबाजी लंबित है। (रु. 100 के स्टाम्प पर)	
8	धोखाधडी और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में घोषणापत्र (निविदा दस्तावेज में दिये गए एनेक्सर–III में विधिवत हस्ताक्षरित और प्रमाणित)	
9	निविदा दस्तावेज निष्पादित करने के लिए फर्म द्वारा किसी व्यक्ति का प्राधिकरण पत्र (authorisation lettter)	
10	32 फीट लम्बाई वाले उपलब्ध टर्बो ट्रकों की संख्या, जिन्हे GPS द्वारा track किया जा सके।	

तारीख –

स्थान – अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील

<u>अनुलग्नक–II</u>

<u>वित्तीय बोली</u> (Financial Bid)

(केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की म.प्र. इकाई में फसल वर्ष 2024–25 हेतु तौल केन्द्रों पर ट्रक किराये पर देने के लिए) **सभी करों सहित**

1.	बोलीदाता फर्म का नाम	
2.	पता (टेलिफोन नम्बर एवं फैक्स नम्बर के साथ	
3.	प्रोप्राईटर/निदेशक/भागीदार का नाम व पता (मोबाईल नम्बर सहित)	
4.	प्रतिदिन प्रति ट्रक किराया (रूपयों में)	
5.	डीजल की मात्रा (किलोमीटर प्रति लीटर)	
6.	जी.एस.टी.	

तारीख –
स्थान –

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील